# न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर, जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व मुकदमा नम्बर – 14 / 2020

सरकार जरिये पटवारी हल्का जालिया प्रथम

**बनाम**

श्री ईश्वरचन्द, दिलीपकुमार, ललितकुमार पुत्र श्री रामदेव जाति कलाल निवासी जालिया प्रथम

**मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

## निर्णय

दिनांक : 19/6/2020

सारांशतः प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम–जालिया प्रथम, पटवार मण्डल–जालिया प्रथम तहसील–ब्यावर के खसरा नम्बर 1591/997 कुल रकबा 43–08–00 किस्म–चारागाह में से रकबा 00–02–00 सरकारी चारागाह भूमि पर पत्थर व कांटो की बाड लगाकर श्री ईश्वरचन्द, दिलीपकुमार, ललितकुमार पुत्र श्री रामदेव जाति कलाल निवासी जालिया प्रथम ने अवैध रूप से पत्थर व कांटो की बाड लगाने पर पटवारी हल्का जालिया प्रथम ने उक्त अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण से बेदखल किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम–जालिया प्रथम की सरकारी चारागाह भूमि के ख.नं. 1591/997 पर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध रूप से पत्थर व कांटो की बाड के रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कब्जे पर पत्थर आदि कोई सामग्री पडी हो तो जब्त सरकार कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करे तथा फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृती हेतु पेश करे। साथ ही अतिचारी पर वार्षिक लगान रू. 0.30 का पचास गुना राउंड फीगर राशि रू. 50/– पेनल्टी कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार/हल्का पटवारी/भू.अभिलेख निरीक्षक को कब्जा/बेदखली/ध्वस्त कार्यवाही/जब्ती/नीलामी/डिमाण्ड कायमी/वसूली आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यालय कार्यवाही की जावें।

तहसीलदार ब्यावर

क्रमांकः–सम/2020/ दिनांक :

प्रतिलिपीः– भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी/ तहसील राजस्व लेखाकार को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि यथाआदेशानुसार पालना कर ठोस पालना से 3 दिवस में अवगत करवाना सुनिश्चित करावे।

तहसीलदार ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2020.07.13 17:03:09 IST
Reason: SelfAttested